समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला जनसम्पर्क कार्यालय)

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 20-10-2016

बिहारीगंज में तनाव की घटना के बाद एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने फेसबुक और वाट्सएप जैसे सोशल मिडिया द्वारा अफवाह या धार्मिक और जातिय उत्तेजक नारे आदि के पोस्ट पर नियंत्रण हेतु जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा के संयुक्त आदेश ज्ञापांक-2520/गो0, दिनांक 18-10-2016 तथा ज्ञापांक 2532/गो0, दिनांक 19-10-2016 के द्वारा एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है, जिस पर विभिन्न स्त्रोतों से दूरभाष पर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

अतएव जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ग्रुप एडमिन, पत्रकारों, साइबर एक्सपर्ट एवं बुद्धिजीवि /प्रतिष्ठित लोगों के साथ दिनांक 20-10-2016 को बैठक में विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया :-

1. फेसबुक और वाट्सएप ग्रुप के सभी एडमिन, जो मधेपुरा जिले के अन्तर्गत क्रियाशील है, की जिम्मेवारी होगी कि अगर उनके ग्रुप में उत्तेजक धार्मिक एवं जातीय पोस्ट, कमेंट, फोटो, विडियो आदि को अपलोड, शेयर या फारवर्ड होता है, जिससे विधि-व्यवस्था बाधित होती है या बाधित होने की संभावना हो, तो ऐसा करने वाले का स्क्रीन शॉट लेकर विभाग द्वारा निर्गत मोबाईल नं0 9955948775 पर या फेसबुक पेज मधेपुरा मॉनिटर पर अविलम्ब सूचित करेंगे।
2. ऐसी सूचनादाता एडमिन या सदस्य का नाम व पता प्रशासन के द्वारा गुप्त रखा जाएगा।
3. अगर एडमिन द्वारा समय पर यह सूचना उपरोक्त नम्बर पर नहीं दी जाती है, तो ऐसे एडमिन के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
4. प्रशासन एवं पुलिस की तकनीकी सेल और साइबर क्राइम या स्पेशल टीम इंटरनेट द्वारा जिले में क्रियाशील फेसबुक, वाट्सएप जैसे सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है।

तदनुसार जिलाधिकारी, मधेपुरा तथा पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में निर्गत किए गए पूर्व के संयुक्त आदेश ज्ञापांक-2520 /गो0, दिनांक 18-10-2016 एवं आदेश ज्ञापांक-2532 /गो0, दिनांक 19-10-2016 को विलोपित किया जाए।

20/10/16

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी
मधेपुरा।